

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/स.प.अ./ 66 /2025 दिनांक : 14 .02.2025

श्रीमती योगिता पारीक (RJ00646), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, चूरु को दिनांक 27.02.2025 से 12.03.2025 तक 14 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 26.02.2025 एवं 13.03.2025 से 14.03.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती पारीक की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, चूरु के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/14/2011/1279

दिनांक : 14.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु को उनके पत्रांक 1231 दिनांक 07.02.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती योगिता पारीक (RJ00646), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, चूरु।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, चूरु।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु।


सहायक रजिस्ट्रार